पास जब्तशुदा हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने और विभागीय उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता होने के कारण सामान्यतया प्रत्येक आबंटती को केवल एक हथियार ही बेचा जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग की दुकान (कस्टम शाप) के अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए बहुत कम सामान दिखाया जाना

967. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि जब कोई संसद सदस्य सीमा शुल्क विभाग की दुकान पर सामान खरीदने के लिये जाता है तो वहां के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें बहुत ही कम सामान दिखाते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर "ना" में हो तो क्या इस मामले की कोई जांच किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते लोगों को बहुत ही कम मूल्य पर बहुत सी अच्छी--अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं ; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान की कुल बिक्री कितनी रही है और बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके मूल्य क्या हैं और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होंने इन वस्तुओं को खरीदा है तथा सामान का मूल्यांकन करने वाले प्रधिकारी का नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओं की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी सोसायटियों और राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी संघों को की जाती हैं जो उसे आगे सहकारी सोसायटियों, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारों, आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सप्लाई करते हैं । इस प्रकार की वस्तुओं को सेना/पुलिस/पैरा मिलिटिरी कैन्टीनों को बेचने के लिए भी भेजा जाता हैं । इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की अल्प मात्रा में वास्तविक उपभोक्ताओं को सीमाशुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से "जो पहले आवे सौ पहले पावे" सिद्धान्त के आधार पर भी बेचा जाता हैं । खुदरा दुकान पर जो कुछ वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उन्हें प्रदर्शित कर दिया जाता हैं और महत्वपूर्ण मदों का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाता है और आम जनता तथा संसद सदस्य, इसे खरीद सकते हैं ।

(ग) जब्तशुदा उपभोक्ता वस्तुओं को खुदरा दुकानों के जरिए बम्बई कस्टम हाउस की संयुक्त मल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मल्यों पर बेचा जाता हैं और जहां इस प्रकार के निर्धारित मूल्य नहीं होते हैं, वहां माल को किसी ऐसी स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए मूल्यों पर बेचा जाता है जिसमें सदस्य के रूप में वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते हैं । खुदरा काउंटरों पर बिक्री करने वाले अधिकारी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित नही करते हैं ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Seizure of Narcotics and Other Goods

968. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what are the details of narcotic drugs and other goods seized by the customs authorities during 1989 and 1990 so far indicating the quantity and estimated value thereof particularly in Rajasthan sector on Indo-Pak border;

(b) what checks Government are exercising to see that drugs like heroin etc. are completely destroyed by customs or concerned authorities; arid

(c) what steps Government have taken so far to tighten antinarcotic—laws and for improving their enforcement including liaison with other international agencies in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH); (a) The details of narcotic drugs seized by Customs authorities during 1989 and 1990 are given in the statement annexed. No precise valuation of probi-bited drugs which are often of indeter-minate chemical strength and composition, and which are liable for destruction, is feasible.

The value and quantity 0f other goods seized by Customs authorities during 1989 and 1990 in the Country is also given in the statement. (See below).

The information on other. goods seized in Rajasthan Sector on Indo-Pak border is being collected and will b« laid on the Table of the House.

(b) A three member Committee on disposal of drugs have been constituted in the Headquarters of the respective Heads of Department, who, are to order and supervise the destruction. Detailed procedure to be followed in this behalf have been framed by Government.

(c) The Government have taken various steps such as improving enforcement, strengthening of NCB, improving liaison with national and ternational agencies such as INTERPOL, international Narcotics Control Board, Customs Cooperation Council, Drug Enforcement Administration of USA etc., and the law was improved by amendment in 1989.

Statement

Statement on narcotic drugs seized by Customs Authorities during the years 1989 *and* 1990.

ALL INDIA SEIZURES

Drag seized	1989 (Provisional) Qty. (in Kg.)	1990 (upto Nov.) Qty (in Kg.)
Heroin. Ganja	231	19
Hashish.	515	350
Methaqualone	20439	5021
	2553	1031
	158	486

Seizures of Narcotic drugs in Rajasthan Sector by the Customs Authorities.

	1989 (qty. in Kg.)	1990
1	2	3
, _.. -.. -.	. 74- 860 (out of this is seized jointly by Cus. & NCB)	105 0 71 (out of this 88 38a seized/jointly by Cus. & NCB)

* 2	3
Hashish..... 77-712	293-475 (out of this 15 was Seized jointly by Cus. & NCB)
Opium 122 023	

Other Goods Seized by the Customs authorities

Value and quantity (wherever available) of major items.

Items	1989 (in lakhs)	1990 (Provisional) (In lakhs)
>		-
	(8215 kg.)	18677 (5499 Kg.)
		244
Syn. Fabrics	545	935
Electronic goods.....	2792	2600
Silver..... (99322 Kg.)	6757	i4727 (213940 Kg.)
Total value of other goods. (Which includes value of the above items).....	5^4, 59	707, 28

Evasion of Excise Duty

969. SHRI, CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the estimated evasion of excise duty in quantum and percentage during last three years;

(b) 'whether it is a fact that Government are getting much less revenue because of spread of excise points at yarn and finished stages of artificial fabrics; and

(c) what are the measures suggested to counter this?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER 1$ THE MINISTRY OF EXTERNAL. AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) Evasion of excise duty being a clandestine activity, no reliable indicators are available to estimate the quantum and